

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक...../पटना, दिनांक.....
03/सह.ब.यो.(आवंटन)-02/2025

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत 08 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) में आधारभूत संरचना विकसित करने हेतु प्रति PVCS रु0 1,14,30,561/- की दर से कुल राशि रु0 9,14,44,488/- मात्र की स्वीकृति के विरुद्ध ऋण मद में स्वीकृत 25 प्रतिशत राशि अर्थात् रु. 2,28,61,122/- (दो करोड़ अठाईस लाख एकसठ हजार एक सौ बाईस) रुपये के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-278, दिनांक-01.08.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम मद में निम्नांकित बजट शीर्ष के सामने कॉलम-03 में अंकित राशि का आवंटन दिया जाता है:-

क्र.सं.	बजट शीर्ष	आवंटित राशि (रुपये में)
1	2	3
1.	मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-6425 सहकारिता के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-108-अन्य सहकारी समितियों को कर्ज, उप शीर्ष-0120-सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विपत्र कोड- 09-6425001080120 विस्तृत शीर्ष-55-ऋण एवं अग्रिम, विषय शीर्ष-01-ऋण एवं अग्रिम	रु० 1,92,03,342 /- (एक करोड़ बानबे लाख तीन हजार तीन सौ बयालीस)
2.	मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-6425 सहकारिता के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101-सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विपत्र कोड- 09-6425007890101 विस्तृत शीर्ष-55-ऋण एवं अग्रिम, विषय शीर्ष-01-ऋण एवं अग्रिम	रु० 36,57,780 /- (छत्तीस लाख संतावन हजार सात सौ अस्सी)
	योग	रु० 2,28,61,122 /- (दो करोड़ अठाईस लाख एकसठ हजार एक सौ बाईस)

2. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग के पत्र सं०-227/वि०, दिनांक-28.03.2025 के अंतर्गत बिहार विनियोग (संख्या-02) अधिनियम, 2025 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-235/वि० दिनांक-01.04.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र

सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 में निहित शर्तों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक होगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अभय कुमार सिंह),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-54(आ०)/पटना, दिनांक-12/08/2025
प्रतिलिपि:- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सं०स०, बिहार, पटना/उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक, सं०स०, बिहार, पटना (दो मूल प्रतियों में)/विभागीय आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।